GCMS 04
2021/4
28/9/2022

फर्द अहकाम

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी   बनाम   श्री जालाराम

हलका सिणधरी   पुत्र श्री मोहनराम जाति भील

निवासी-सिणधरी-पारवार

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 04/वर्ष 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
31-3-2021	पटवारी हलका सिणधरी ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत 2021 में मौजा सिणधरी-पा. के खसरा नंबर 23/90 रकबा 0.8252 हे. किस्म भूमि गै.मु. गोचर पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 16-4-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
16-4-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 29-4-2021 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	अ.नि. जालाराम 16/4/2021
29-4-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-5-2021 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	

13-5-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28-5-2021 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

28-5-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब पेश करने हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुए पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

वर्ष 2021-22 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के पृष्ठ सं. 15 पर क्र.सं. 03 पर जुर्माना/फसल निलामी राशि रू. 50/- की राशि दर्ज की गई।

M. Dy

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर–04/2021 संवत:–2078

राजस्थान सरकार जरिये बनाम जालाराम वल्द मोहनराम

पटवारी हल्का सिणधरी भील सिणधरी चारणान

निर्णय

दिनांक:– 28-5-2021

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी सिणधरी ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया। कि गैर सायल ने संवत् 2077 में राजस्व ग्राम सिणधरी चा. के खसरा नम्बर 23/90 में कुल रकबा 15.06 बीघा किस्म भूमि गै.मु. जोहड़ में से रकबा 5.02 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि पर गैर सायल अनुपस्थित।

गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अत: गैर सायल के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर गैर सायल द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना सावित होता है।

ऐसी अवस्था में गैर सायल को राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मूतनाजा से बेदखली के आदेश दिये है। गैर सायल के इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध वार्षिक भू– राजस्व लगान 0.66 रुपये का राउण्ड अप एक रुपये का 50 गुणा अर्थात 50/- रूपये (अक्षरे पचास रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। गैर सायल से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखलकर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले/भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी